तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
26-11-19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप० है। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 UR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा गया जो कि पत्रा. मे शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो सबै बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
114/2019	6.9.2019	26.11.2019

1. केशन्ता पत्नी स्व0 विश्राम   जाति गुर्जर
2. अतरसिंह पुत्र स्व0 विश्राम   निवासी कडीगांवडी
3. फूलसिंह पुत्र स्व0 विश्राम   तहसील गंगापुर सिटी
4. सीमा उर्फ सोमनादेवी पुत्री स्व0 विश्राम पत्नी बनेसिंह जाति गुर्जर निवासी डूंगरपट्टी बांदीपाज, अमावरा तहसील बामनवास ——प्रार्थीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर द्वारा तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण केशन्ता वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि एकीकरण ख0नं0 213 रकबा 1 विस्वा व ख0नं0 214 रकबा 24 बीघा 8 विस्वा ग्राम कडीगांवडी की खातेदारी फैली, परभाती पुत्रान रामनाथ जोगी साकिन देह हिस्सा 1/2 व विश्राम, करणसिंह पुत्रान सैलानी कौम गूजर साकिन देह हिस्सा 1/2 दर्ज रही है। भू–प्रबन्ध में इस भूमि के नवीन ख0नं0 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 614/1389 कायम कर इसकी खातेदारी विश्राम, करण सिंह पुत्रान सैलानी हिस्सा 1/2 राहिन सहकारी भूमि विकास बैंक लि0 स0माधोपुर मुर्तहन फैली, प्रभाती पि0 रामनाथ जोगी साकिन देह पलासोद 1/2 हिस्सा खातेदार दर्ज कर दी अर्थात भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी नं0 1 के ससुर व प्रार्थीगण 2 लगायत 4 के पिता विश्राम पुत्र सैलानी के नाम के आगे दर्ज जाति गुर्जर को गलत रूप से हटा दिया तथा सभी खातेदारों की जाति जोगी दर्ज कर दी जबकि प्रार्थीगण व उनके बुजुर्ग जाति से जोगी नहीं होकर जाति से गुर्जर हैं जो साबिक जमाबंदी खतौनी एकीकरण सं0 2019 से स्पष्ट है। इस प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई यह भूल एक लिपिकीय भूल है जिसे सही किया जाना न्यायहित में जरूरी है। इसके आधार पर हाल ही में किए गए सेग्रीगेशन के तहत भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थीगण की जाति जोगी दर्ज कर दी गई है। प्रार्थी सं0 1 के पति एवं प्रार्थी सं0 2 ता 4 के पिता विश्राम की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके स्थान पर खातेदारी उनके वारिसान प्रार्थीगण के नाम आ चुकी है परन्तु मृतक विश्राम की पुत्री का सही नाम सीमा उर्फ सोमन्ना देवी है जिसे राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से काजल पुत्री विश्राम दर्ज कर दिया है जबकि काजल विश्राम की पुत्री न होकर विश्राम की पुत्री सीमा उर्फ सोमन्ना देवी की पुत्री है अर्थात काजल विश्राम की नवासी है। इसलिए वर्तमान जमाबंदी में काजल पुत्री विश्राम के स्थान पर सीमा उर्फ सोमन्ना देवी पुत्री

विश्राम दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश न्यायहित में दिया जाना आवश्यक है। ग्राम कडीगांवडी से नया ग्राम बन जाने के कारण प्रार्थीगण की भूमि के खन0 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 बन गए हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान जमाबंदी सं0 2072–73 के नया खाता सं0 205 की भूमि ख0नं0 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 ग्राम कडीगांवडी तहसील गंगापुर सिटी में प्रार्थीगण के नाम के आगे दर्ज जाति जोगी को हजफ किया जाकर उसके स्थान जाति गुर्जर दर्ज की जावे तथा मृतक विश्राम की पुत्री के रूप में दर्ज काजल पुत्री विश्राम को हजफ कर उसके स्थान पर सीमा उर्फ सोमन्ना देवी पुत्री विश्राम दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें तथा इसी अनुसार समस्त रेवेन्यु रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने नकल खतौनी एकीकरण सं0 2019, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध, नकल खतौनी भू–प्रबन्ध सं0 2039, नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2054 से 2057, जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 205, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र फूलसिंह गुर्जर, छायाप्रति परिवार राशन कार्ड, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र केशन्ता, छायाप्रति मतदाता पहचान पत्र अतरसिंह, छायाप्रति आधार कार्ड सोमन्ना देवी प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक राजस्व/2019/2176 दिनांक 1.11.2019 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र पर बहस विद्वान वकील प्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण की जाति जोगी के स्थान पर गुर्जर दर्ज करने एवं प्रार्थी सीमा उर्फ सोमन्ना देवी का नाम काजल के स्थान पर दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं रिपोर्ट तहसीलदार गंगापुर सिटी का अवलोकन किया गया। नकल एकीकरण खतौनी जमाबंदी सं0 2019 के अनुसार ख0नं0 213, 214 की खातेदारी फैली परभाती पि0 रामनाथ जोगी सा0 पलासोद हि0 1/2, विश्राम , कर्णसिंह पिता सैलानी कौम गूजर सा0देह हि0 1/2 की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भू–प्रबन्ध में इसके नवीन ख0नं0 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 614/1389 बनाए गए हैं जो नकल खतौनी जमाबंदी भू–प्रबन्ध सं0 2039 के अनुसार विश्राम, करणसिंह पि0 सैलानी हि0 1/2 राहिन स0भूमि वि0 बैंक लि0 स0माधोपुर मुर्तहीन फैली प्रभाती पि0 रामनाथ जोगी सा0 पलासोद 1/2 हि0 ब0 खातेदार के नाम दर्ज की गई है। ग्राम कडीगांवडी में पृथक गांव बनने के कारण नवीन ख0नं0 613, 614, 615, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 614/1389 से नवीन ख0नं0 158, 160, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168 ग्राम कडीगांवडी बने हैं।

साबिक रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की जाति गुर्जर रही है। इसकी पुष्टि तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट से भी होती है। तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार काजल स्व0 विश्राम की पुत्री नहीं होकर उसकी नवासी है। स्व0 विश्राम की पुत्री प्रार्थी सं0 4 सीमा उर्फ सोनम देवी है जो तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण अपनी जाति दुरूस्त करवाने एवं काजल के स्थान पर प्रार्थी सं0 4 का नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम कडीगांवडी की जमाबंदी सं0 2070 से 2073 के खाता संख्या 205 एवं 204 में दर्ज प्रविष्टि अतरसिंह पुत्र विश्राम हिस्सा 1/16 जाति जोगी सा0 पलासोद खातेदार, केशन्ता पत्नी स्व0 विश्राम हिस्सा 1/16 जाति जोगी सा0 पलासोद खातेदार, काजल पुत्री विश्राम हिस्सा 1/16 जाति जोगी सा0 पलासोद खातेदार, फूलसिंह पुत्र विश्राम हिस्सा 1/16 जाति जोगी सा0 पलासोद खातेदार के स्थान पर प्रविष्टि अतरसिंह पुत्र विश्राम हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा0 कडीगांवडी खातेदार, केशन्ता पत्नी स्व0 विश्राम हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा0 कडीगांवडी खातेदार, सीमा उर्फ सोमना देवी पुत्री विश्राम पत्नी बनेसिंह हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा0 डूंगरपट्टी बादीपाज, अमावरा तहसील बामनवास खातेदार, फूलसिंह पुत्र विश्राम हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा0 कडीगांवडी खातेदार दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। खाता संख्या 205, 204 की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.12.03 15:58:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: